न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—3/2022 (2022/3) वाद पत्र

अनवान

1—गणपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जालमसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नरपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सुगनकंवर बेवा मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—गिरधारीसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—धूलकंवर बेवा भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लादुसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 07.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की खाता 27 में वर्णित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 है0 अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 हेक्टेयर से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 का कोई लेना देना नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को बर्बाद करना चाहते हैं जिसका की कानूनन प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को कोई हक व अधिकार नहीं है। इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 ने ताकत के बल पर दिनांक 28/10/2021 को वादीगण की उक्त वर्णित आराजी मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पत्थर डलवा दिये और अतिशीघ्र रेत व सिमेन्ट डलवाकर वादीगण की उक्त वर्णित आराजी मे निर्माण करने पर आमादा हैं। जिसका कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात मे अनाधिकृत प्रवेश कर दिनांक 28/10/2021 को पत्थर डलवा दिये जिससे वादीगण को काफी नुकसान हुआ है, वादीगण के मना करने पर भी प्रतिवादीगण ने मौके पर से पत्थर नहीं हटाये हैं और वादीगण को यह धमकी दी हैं कि वे मौका पाकर [illegible] वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात मे पक्का निर्माण करेंगे व अनाधिकृत रूप से [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का वादीगण की वाद वर्णित कृषि आराजियात से कोई सरोकार नही होते हुए भी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 वादीगण की आराजियात [illegible] रूप से दलख[illegible] करते है शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देते और नाजायज रूप से वादीगण की आराजी मे पत्थर डालकर निर्माण करने पर आमादा हैं और वादीगण के मना करने पर मरने मारने पर उतारू हो जाते है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है इस सबब यह वादपत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त वादवर्णित कृषि आराजियात में किसी प्रकार की दंखलदांजी नही करें न ही उक्त आराजी में नाजायज रूप से प्रवेश कर निर्माण ही करे एवं वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादीगण की आराजी में डाले गये पत्थर को अपने खर्चे से उठा लेवें। यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण की आराजी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लेवे तो ऐसे निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जाकर पुनः वादीगण को कब्जा कराने की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने यह अवगत कराया कि प्रतिवादी ग्राम गाडरीखेड़ा की आराजी संख्या 130 के खातेदार है उसमें वादीगण दखलदांजी करते है जिसे वादीगण को भी पांबद किये जावे कि प्रतिवादीगण की आराजी में वो दखल नही करे और हम प्रतिवादीगण भी वादीगण की आराजी में दखल नही करेंगे। इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने में दोनो अधिवक्ताओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो वादीगण ग्राम गाडरीखेड़ा की आराजी संख्या 129 के खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा दखल करने पर वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम वादीगण की आराजियात पर कब्जा नही कर रहे है बल्कि वादीगण प्रतिवादी की खातेदारी आराजी संख्या 130 पर कब्जा करते है जिससे वादीगण को भी पांबद किया जावे। प्रकरण में कोई विशेष विवादित बिन्दु नही है दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि में दखल नही चाहते है दोनो पक्षो के मध्य सीमाज्ञान के अभाव में एकदुसरे की भूमि में दखल मान रहे है। इसके निस्तारण के लिये दोनो पक्ष स्वतंत्र है कि अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करावे और जहां अपनी सीमा निर्धारित हो उसके आगे कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष की भूमि दखल नही करे इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में दर्ज आराजी संख्या 130 में दंखल नही करने बाबत् मौखिक काउन्टर क्लेम किया जिससे स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पांबद किया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज रकार्ड है जिस पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी नही करे। इसी तरह ग्राम गाडरीखेड़ा में स्थित प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 130 रकबा 1.17 है0 भूमि पर वादीगण दंखलदांजी नही करे। उभयपक्ष निर्णय से पांबद रहे। इसी अनुसार डिकी जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:06 IST
Reason: SelfAttested

7/4/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–3/2022 (2022/3) वाद पत्र

अनवान

1–गणपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जालमसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–नरपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–सुगनकंवर बेवा मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–गिरधारीसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–धूलकंवर बेवा भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लादुसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में दर्ज आराजी संख्या 130 में दंखल नही करने बाबत् मौखिक काउन्टर क्लेम किया जिससे स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पांबद किया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज रकार्ड है जिस पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी नही करे। इसी तरह ग्राम गाडरीखेड़ा में स्थित प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 130 रकबा 1.17 है0 भूमि पर वादीगण दंखलदांजी नही करे। उभयपक्ष निर्णय से पांबद रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

07/04/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:06 IST
Reason: SelfAttested